



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-1016/RJ/3/2023-APCR

दिनांक: 13.04.2023

1. श्री प्रकाश राजपुरोहित
कलेक्टर
जिला जयपुर
कलेक्टेट परिसर, 230
माधो सिंह रोड, बानी पार्क
जयपुर -302006 (राजस्थान)
Email:dm-jaip-rj@nic.in

2. डॉ राजीव पचार
पुलिस अधीक्षक
जयपुर (ग्रामीण)
नेहरू नगर
जयपुर -302016 (राजस्थान)
Email:sp.jaipurural@rajpolice.gov.in

विषय: पुलिस थाना सरुणड, जयपुर ग्रामीण के द्वारा बिना तथ्यों के दूषित जांच रिपोर्ट पेश किए जाने के विषय में अभ्यावेदन -
श्री बलवंत सिंह मीणा, जयपुर का अभ्यावेदन

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री बलवंत सिंह मीणा से दिनांक 24/03/2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

(अंकित कुमार सेन)
अनुसंधान अधिकारी
ट्रूरभाष सं.: 24645826
ई-मेल: ankit.sen@gov.in

प्रतिलिपि (सूचनार्थ एवं पूर्ण याचिका की एक प्रति भेजने हेतु) :

श्री बलवंत सिंह मीणा
हाउस नंबर 68/82 आरएचबी,
प्रतापनगर, सोगानेर,
जयपुर, राजस्थान
Mobile No:9929130002